

विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

■ हिरासत में राष्ट्रीय
महामंत्री सहित 200 से
अधिक कार्यकर्ता

संवाददाता

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुरानी विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।

एबीवीपी के अनुसार, विधानसभा घेराव के दौरान संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह, झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी सहित 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को खेलगांव



स्थित कैप जेल में रखा गया है। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर कथित लाठीचार्ज और हिरासत की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। एबीवीपी के झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने संदिग्ध परीक्षाओं को निरस्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा परीक्षा कराने तथा परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार की मांग की।

प्रकाश टूटी ने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के जरिए दबाया नहीं जा सकता। एबीवीपी विद्यार्थियों के अधिकारों और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है और उनकी मांगों के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। पुरानी विधानसभा के पास पुलिस ने रोका मार्च विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस ने पुरानी विधानसभा के

आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। राजग नेताओं ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने और संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होने वाली राष्ट्रीय जनता गठबंधन के सांसदों की साप्ताहिक बैठक के बाद सभी सांसद संसद के मकरद्वार की ओर हाथों में बैनर लिए विरोध करते हुए पहुंचे। बैनरों में लिखा था कि 'झारखंड में छात्रों पर हुई अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो'। वहीं सांसद नारे लगा रहे थे कि 'राहुल गांधी चर्चा करो, भागो मत'। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं प्रकरणी सचिव पत्रा ने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड के मुद्दे पर वहां की सरकार से कांग्रेस का समर्थन वापसी लेना चाहिए।

विरार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गुजरात से मुंबई आ रही कार से 1 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद

संवाददाता

मुंबई। विरार में नकली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए वसई क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर कार्रवाई कर करीब 1 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह नकली करेंसी गुजरात से मुंबई ले जाई जा रही थी। मामले में कार सवार एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है और अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नकली नोटों की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे मुंबई में कैसे सौंपा जाना था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुजरात की ओर से एक कार के जरिए बड़ी मात्रा में जाली करेंसी मुंबई की ओर लाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद वसई क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शिरसाट फाटा ब्रिज के नीचे एक संदिग्ध कार दिखाई दी। पुलिस टीम परकवा संविगत पत्रा ने कार को रोकने का प्रयास किया। कार सवार ने घबराकर वाहन को पीछे रोक दिया, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया इसके बाद पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली।



तलाशी के दौरान कार के अंदर रखे एक बैग से 500 रुपये मूल्य के करीब 20 हजार जाली नोट बरामद हुए। बरामद नोटों की कुल अंकित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने नकली नोटों की खेप जप्त कर कार सवार व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि बरामद जाली नोटों को कथित तौर पर करीब 30 लाख रुपये में बेचने की तैयारी थी। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की पुष्टि करने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है कि नकली नोट किस व्यक्ति को दिए जाने थे और इसके लिए कौन-कौन से लोग संपर्क में थे। क्राइम ब्रांच

अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में जाली करेंसी कहां से आई, इसे किसने तैयार किया, गुजरात से मुंबई तक पहुंचाने में कौन-कौन लोग शामिल थे और मुंबई में इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराज्यीय नकली नोट गिरोह सक्रिय है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, केवल खेप बरामद होने तक जांच सीमित नहीं रखी जाएगी, बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ के साथ-साथ उसके संपर्कों, मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई सोमवार रात की बताई जा रही है। वसई क्राइम ब्रांच की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ नकली नोटों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस ने बरामद करीब 1 करोड़ रुपये की जाली करेंसी और वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खास खबर

मनरेगा में मजदूरी के 32.62 लाख रुपये पुरानी गाड़ियों के रखरखाव पर खर्च: कैग

रांची। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मनरेगा की मजदूरी मद के 32.62 लाख रुपये पुरानी सरकारी गाड़ियों के रखरखाव पर खर्च कर दिए गए। वहीं, वर्ष 2019 से 2024 के दौरान अकुशल मजदूरों को 321.84 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। कैग की यह रिपोर्ट झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई। रिपोर्ट में वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के क्रियान्वयन, उससे मिलने वाले लाभ और योजना के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति का आकलन किया गया है। ऑडिट के लिए राज्य के छह जिलों पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और पाकुड़ का चयन किया गया था। इन जिलों के 12 प्रखंडों और 48 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत संचालित 480 योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, गिरिडीह, गुमला और पाकुड़ जिलों में वर्ष 2019 से 2022 के बीच मनरेगा की मजदूरी मद से 32.62 लाख रुपये पुराने वाहनों के रखरखाव पर खर्च किए गए। इस राशि से वाहनों के टायर, बैटरी और अन्य सामान बदले गए। कैग ने इसे मनरेगा के प्रावधानों के विपरीत बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरी मद की राशि का इस्तेमाल निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019-24 के दौरान अकुशल मजदूरों को 321.84 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। ऑडिट के दौरान पाया गया कि मार्च 2025 तक भी यह राशि मजदूरों को नहीं मिल सकी थी। रिपोर्ट में मजदूरी भुगतान में देरी को मजदूरों के हित से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के तहत करीब 1.02 करोड़ योजनाएं दर्ज की गईं। इनमें से केवल 27.96 लाख योजनाएं पूरी हो सकीं। इस तरह योजनाओं की पूर्णता दर करीब 27 प्रतिशत रही।



भाजपा के झारखंड बंद का व्यापक असर, रांची में जगह-जगह प्रदर्शन

रांची। झारखंड लो सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आहूत बंद का मंगलवार को राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में सुबह से असर देखने को मिल रहा है। बंद के समर्थन में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर और लकड़ी जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रातू रोड, किशोरगंज चौक और हरमू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर और लकड़ी जलाकर सड़क की एक लेन को अवरुद्ध कर दिया। इससे इन इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। हरमू चौक पर कुछ कार्यकर्ता जेसीबी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की। वहीं किशोरगंज चौक पर भी कार्यकर्ताओं ने टायर और लकड़ी जलाकर विरोध जताया। बंद के कारण राजधानी में आम दिनों की तुलना में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम नजर आई। कई प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित रहा। इधर, झारखंड बंद को देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।



दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने वालों पर हो मकोका के तहत कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

संवाददाता

मुंबई। नागरिकों के स्वास्थ्य और विशेष रूप से छोटे बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ संगठित अपराध के तहत मामले दर्ज किए जाएं, ऐसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। मंगलवार को सहाय्यी अतिथिगृह में 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के तहत वर्ष 2026-27 के लिए विभागों के निर्धारित लक्ष्यों और उनकी पूर्ति के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के प्रस्तुतीकरण के समय उपमुख्यमंत्री शिंदे ने ये निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना केवल सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि यह सीधे नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ है। छोटे बच्चे बड़ी मात्रा में दूध का सेवन करते हैं। नकली पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण



गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मिलावटखोर सीधे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समाजकटकों की खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई कर उनमें कानून का डर पैदा किया जाए, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सके।

गैर-जमानती मामले दर्ज करने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई

करते समय गैर-जमानती अपराध दर्ज किए जाएं, ताकि आरोपियों को कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच निकलने का अवसर न मिले। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाना चाहिए। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके मामलों की अदालत में सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए प्रख्यात और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों की सहायता लेने तथा तत्काल एक विशेष लीगल टीम गठित करने के निर्देश भी एकनाथ शिंदे ने दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री आशीष जयसवाल, गृह तथा अन्न व औषधि प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव उदय शुक्ला, अन्न व औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महाराष्ट्र में हाईवे किनारे अवैध ढाबों-रेस्टोरेंट पर सख्ती, 60 दिन में हटेंगे अनधिकृत निर्माण

इंद्र यादव

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2026 को फालोदी हादसा मामले में जारी दिशा-निर्देशों के बाद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way (ROW) में नए ढाबे, ईटरी या अन्य व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल रोक लगाने तथा वहां मौजूद नए या अनधिकृत ढांचों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत 60 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा यानी Right of Way में किसी भी नए ढाबे, रेस्टोरेंट या व्यावसायिक ढांचे का निर्माण अथवा संचालन नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को ऐसे अनधिकृत निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हाईवे सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी स्थान के लिए नया लाइसेंस, एनओसी या व्यापारिक अनुमति देने अथवा पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करने से पहले संबंधित NHAI या PWD की मंजूरी जरूरी होगी। मौजूदा लाइसेंसों की भी निर्धारित समयसीमा में समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए उन सभी जिलों में District Highway Safety Task Force गठित करने



का निर्देश दिया गया है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI अथवा संबंधित भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी, PWD और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। जिला कलेक्टर तथा पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की संयुक्त जिम्मेदारी दी गई है। टास्क फोर्स को प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा बैठक करने और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिंदु से 40 मीटर तक आवासीय

और 75 मीटर तक व्यावसायिक भूमि उपयोग में बदलाव पर रोक से संबंधित अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। यह व्यवस्था भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुरूप तैयार की जानी है। अदालत ने हाईवे पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की carriageway या paved shoulder पर ऐसे वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग बें, lay-by या Wayside Amenity में ही खड़ा करने की अनुमति होगी। इसके लिए निगरानी, पेट्रोलिंग और तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निगरानी के लिए विशेष Highway Surveillance Teams गठित करने, दुर्घटना संभावित स्थानों यानी blackspots की पहचान करने तथा वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेत और स्पीड निगरानी जैसी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हर 75 किलोमीटर के अंतराल पर आपातकालीन चिकित्सा सहाय्य और recovery crane जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ट्रक lay-by विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश फालोदी और तेलंगाणा में हुए गंभीर सड़क हादसों के बाद सड़क सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर सुनवाई करते हुए जारी किए। अदालत ने कहा

कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क लंबाई का लगभग दो प्रतिशत हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में उनका हिस्सा काफी अधिक है। अदालत ने सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में इन निर्देशों के अनुपालन के तहत अब नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों, जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI और PWD सहित संबंधित विभागों पर हाईवे किनारे मौजूद अनधिकृत निर्माण और सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास मौजूद हर वैध ढाबा या रेस्टोरेंट स्वतः बंद हो जाएगा। मुख्य कार्रवाई Right of Way में मौजूद अनधिकृत निर्माण और बिना आवश्यक मंजूरी वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ होगी। अब निगाह इस बात पर है कि महाराष्ट्र में इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और सख्ती से लागू किया जाता है। हाईवे किनारे अवैध निर्माण, अनधिकृत पार्किंग और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई होने से दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित सड़क व्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है।

संपादकीय



वंदे मातरम् : सम्मान, संवेदना

और सहमति का सवाल

वंदे मातरम् केवल कुछ शब्दों से बना गीत नहीं है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों, संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभावना से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक प्रतीक है। आजादी की लड़ाई के दौर में इस गीत ने देशवासियों में जोश और एकता पैदा करने का काम किया। इसलिए इसके प्रति सम्मान की भावना स्वाभाविक है। लेकिन जब किसी राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को कानून के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है, तब उसके साथ नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे प्रश्न भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि 'वंदे मातरम् विधेयक' पर चर्चा केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्रीय प्रतीक भावनात्मक महत्व रखते हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीक देश की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में इन प्रतीकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग-अलग भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद नागरिकों को एक साझा राष्ट्रीय भावना से जोड़ने का काम यही प्रतीक करते हैं। 'वंदे मातरम्' का इतिहास भी इसी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा रहा है। समस्या तब पैदा होती है जब सम्मान और अनिवार्यता के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। किसी गीत या प्रतीक का सम्मान दिल से पैदा होना अधिक प्रभावी है या कानून के भय से? यह प्रश्न गंभीर है। कानून निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा की रक्षा कर सकता है, लेकिन नागरिकों के मन में सम्मान पैदा नहीं कर सकता। सम्मान सामाजिक संस्कार, शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों से विकसित होता है। यदि 'वंदे मातरम्' के जानबूझकर अपमान या उसके सार्वजनिक गायन में बाधा डालने को दंडनीय बनाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा कि कानून की भाषा स्पष्ट हो। 'अपमान' की परिभाषा क्या होगी? असहमति और अपमान में अंतर कैसे किया जाएगा? किसी व्यक्ति द्वारा गीत न गाना और गीत का जानबूझकर अपमान करना क्या एक ही बात मानी जाएगी? ऐसे सवालों का स्पष्ट उत्तर कानून में होना चाहिए। अन्यथा किसी भी अस्पष्ट प्रावधान का इस्तेमाल विवाद, राजनीतिक दबाव या अनावश्यक मुकदमों के लिए किया जा सकता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां नागरिकों को केवल सहमति का अधिकार नहीं, बल्कि असहमति व्यक्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान आवश्यक है, लेकिन उनके प्रति नागरिकों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के दायरे को भी संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ एक ही तरीके से भाव व्यक्त करना नहीं हो सकता। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। किसी राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर अपमान करना और किसी व्यक्ति का किसी परिस्थिति में उसे गाने से इनकार करना अलग-अलग विषय हैं। पहला कृत्य सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है, जबकि दूसरा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता, परिस्थिति या विवेक से जुड़ा हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। 'वंदे मातरम्' का धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी बहस का हिस्सा रहा है। भारत में अलग-अलग समुदायों की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य तभी सफल होगा, जब राष्ट्रभक्ति किसी समुदाय पर अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान छोड़ने का दबाव न बने। राष्ट्रीय प्रतीक नागरिकों को जोड़ने वाले होने चाहिए, विभाजन पैदा करने वाले नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को नजरअंदाज किया जाए। सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए कानून के साथ-साथ नागरिक शिक्षा भी जरूरी है। विद्यालयों में बच्चों को केवल यह नहीं बताया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है, बल्कि यह भी समझाया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या योगदान रहा, इसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है तथा संविधान भारत की विविधता को किस तरह स्वीकार करता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल उद्देश्यों पर उठते प्रश्न

कुमार कृष्णन

भारत में शिक्षा का संकेत अब केवल स्कूलों-कॉलेजों की कमी, विश्वविद्यालयों की सीमित सीटों या बढ़ती फीस तक सीमित नहीं रह गया है। असली प्रश्न यह है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक जागरूक नागरिक तैयार करना या बाजार के लिए उपभोक्ता बनाना? नौ अगस्त को 'भारत छोड़ो आंदोलन दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली के जंतर-मंतर से 'यूथ सोशलिस्ट इनिशिएटिव' के बैनर तले गूँजे एक नारे 'शिक्षा के सौदागरो, सत्ता छोड़ो' ने इसी बहस को पुनः देश के केंद्र में ला खड़ा किया है। समाजवादी कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षकों, छात्रों, पत्रकारों और युवाओं का यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा के बढ़ते निजीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायीकरण के खिलाफ एक व्यापक जन-आंदोलन खड़ा करने का प्रयास था। भारतीय समाजवादी और लोकतांत्रिक परंपरा में शिक्षा को सदैव सामाजिक मुक्ति और समता का माध्यम माना गया है। परंतु, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का चरित्र तेजी से बदला है। निजी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल संस्थान और डिग्रीफाइड निजी विश्वविद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह बढ़े हैं। शुरुआती तर्क यह था कि सरकार अकेले देश की भारी-भरकम शैक्षिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। यह तर्क पूरी तरह से गलत भी नहीं था। निजी क्षेत्र ने विस्तार में भूमिका तो निभाई, परंतु समस्या तब शुरू हुई जब शिक्षा सेवा से हटकर कारोबार और अधिकार से बदलकर एक उत्पाद बन गई। जैसा कि प्रो.अनिल सद्गोपाल ने रेखांकित किया, शिक्षा के अधिकार को जल, जंगल, जमीन और



आजीविका के बुनियादी अधिकारों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जिस परिवार के पास आजीविका की सुख्खा ही नहीं है, उसके बच्चे के लिए शिक्षा का संवैधानिक अधिकार महज कागजों तक सीमित रह जाता है। आज स्थिति यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति के आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर हो गई है। महंगी फीस के अलावा कोचिंग, डिजिटल गैजेट्स, हॉस्टल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भारी-भरकम खर्च आम परिवारों की पहुंच से बाहर है। ऐसे में संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर की गारंटी कमजोर पड़ती दिखती है। कार्यक्रम में जयंतिभाई पांचाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा को बाजार की वस्तु के बजाय नागरिक अधिकार बनाना होगा। यदि शिक्षा केवल खरीदने की क्षमता पर तय होगी, तो लोकतंत्र में समान नागरिकता का विचार ही बेमानी हो जाएगा। निजीकरण की आलोचना का अर्थ सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर पर्दा डालना नहीं है। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, गिरती गुणवत्ता, शोध का अभाव और प्रशासनिक उद्रासीनता जैसे गंभीर मुद्दे हैं। असल सवाल केवल सरकारी बनाम निजी का नहीं, बल्कि यह है कि शिक्षा का चरित्र जनहितैषी है या मुनाफा केद्धित? यदि कोई निजी संस्था सामाजिक जवाबदेही के साथ गुणवत्ता दे

रही है, तो उसे सिर्फ निजी होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सार्वजनिक संसाधनों के दम पर खड़े संस्थान शिक्षा को एक महंगी वस्तु बना दें, तो उनसे तीखे सवाल पूछना अनिवार्य हो जाता है। आज शिक्षा की पूरी बहस केवल नौकरी और प्लेसमेंट पैकेज के इर्द-गिर्द सिट कर रहा गई है। बेशक रोजगार महत्वपूर्ण है, लेकिन कि कि डॉ. प्रेम सिंह ने कहा कि शिक्षा का काम केवल उद्योगों के लिए 'कुशल मजदूर' (स्किल्ड लेबर) तैयार करना नहीं, बल्कि विवेकशील, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक नागरिक बनाना है। विश्वविद्यालयों का दायित्व सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए कर्मचारी बनाना नहीं है। विज्ञान का काम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। इतिहास आलोचनात्मक चेष्टा जगाता है। समाजशास्त्र सामाजिक असमानता की समझ देता है। साहित्य मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखता है। वस्तुतः शिक्षा का मूल उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना होता है लेकिन जब शिक्षा को केवल नौकरी पाने के पासपोर्ट तक सीमित कर दिया जाता है, तो नागरिक निर्माण का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। इसके साथ ही, पाठ्यक्रम में संकीर्णता, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता का समावेश लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए अत्यंत चिंताजनक है। डॉ. भगवान सिंह और एडवोकेट आदित्य कुमार ने ठीक ही कहा कि शिक्षा का स्वरूप बहुलतावादी, तर्कशील और संवैधानिक मूल्यों से संचालित होना चाहिए। संविधान के 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार तो बनाया गया, लेकिन व्यवहार में विषमता और गहरी हुई है। आज कोचिंग उद्योग इस शैक्षिक संकेत का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। चूंकि हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय प्रतियोगी

परीक्षाओं के अनुरूप गुणवत्ता प्रदान करने में विफल साबित हो रहे हैं, इसलिए छात्र लाखों रुपये खर्च करके कोचिंग मंडियों पर निर्भर होने को मजबूर हैं। इसके बाद जब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह न केवल युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात करती हैं, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका भरोसा तोड़ देती हैं। इसलिए शिक्षा सुधार और रोजगार को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यूथ सोशलिस्ट इनिशिएटिव ने संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलाकर शिक्षा पर समग्र नीतिगत बहस की मांग की है। यह सुझाव सामयिक है। आज प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, शोध, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक पूरी प्रणाली पर एकीकृत पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि, जंतर-मंतर से उठी यह आवाज तभी प्रभावी होगी जब यह केवल नारों तक सीमित न रहकर देश के ग्रामीण विद्यालयों, छोटे कस्बों, विश्वविद्यालयों के परिसरों और अभिभावकों के बीच एक जीवंत जन-आंदोलन का रूप ले। आज भारत में शिक्षा का संकेत केवल निजीकरण का नहीं है, यह समान अवसर और सामाजिक न्याय का संकेत है। वैज्ञानिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों का संकेत है। मूल प्रश्न अंततः यही है कि क्या भारत का कोई बच्चा केवल इसलिए अच्छी शिक्षा से वंचित रहेगा क्योंकि उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं? अब राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से अदेकें हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धौंचे को मजबूत करना होगा, निजी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी होगी, और शिक्षा को मुनाफे की वेदी पर बलि होने से बचना होगा। शिक्षा बाजार में बिकने वाला सामान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है।

डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 1.67 करोड़ की ठगी की कोशिश, महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता

मुंबई। वेस्टर्न रीजनल साइबर सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामलों में लोगों को फंसाकर उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देने वाले एक साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सांताक्रूज के 55 वर्षीय आईटी कंसल्टेंट को मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित फर्जी मामले में फंसाकर उससे 1.67 करोड़ रुपये ट्रान्सफर कराने की कोशिश की। हालांकि, पीड़ित ने रकम ट्रान्सफर नहीं की और समय रहते साइबर पुलिस से संपर्क कर दिया। पुलिस ने जांच के दौरान अपराध से जुड़े 27 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, पांच डिजिटल सिगनेचर डिवाइस, अलग-अलग कंपनियों के 613 सिम कार्ड, दो पासबुक, दो एटीएम कार्ड और 34 लाख रुपये नकद सहित अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय हेरालाल शाह, ऋषि रामचंद्र मीणा, नौशाद अली दिलशाद अली, मोहम्मद खालिद हफीजुद्दीन सैफी और जागेश्वर महतो के रूप में हुई है। इनके साथ एक महिला और एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब गिरोह के कथित मास्टरमाइंड और इसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। मामला अप्रैल 2026 का है। शिकायतकर्ता आईटी कंसल्टिंग का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक, उन्हें 2 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 के बीच लगातार अनजान नंबरों से फोन आने लगे। फोन करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता के



आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक बैंक खाता खोला गया है और उस खाते से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लाखों रुपये का लेन-देन हुआ है। आरोपियों ने दावा किया कि इस मामले में शिकायतकर्ता की संपत्तिता के सबूत मिले हैं और जांच चल रही है। इसके बाद साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तारी और 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी दी। खुद को वास्तविक पुलिस अधिकारी साबित करने के लिए आरोपियों ने वीडियो कॉल भी किए। ठगों ने पुलिस के लोगो वाले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और सुप्रीम कोर्ट के नाम एवं मुहर वाले कथित दस्तावेज भी शिकायतकर्ता को भेजे, ताकि वह उनकी बातों पर विश्वास कर सके। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से उसके बैंक खातों और आर्थिक लेन-देन से संबंधित जानकारी हासिल की। इसके बाद उसे अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1.67 करोड़ रुपये ट्रान्सफर करने के लिए कहा गया। ठगों ने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम उसे वापस कर दी जाएगी। हालांकि, शिकायतकर्ता को संदेह हुआ और उसने कोई रकम ट्रान्सफर करने के बजाय वेस्टर्न रीजनल साइबर सेल से संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद वेस्टर्न साइबर सेल के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गठित टीम में सहायक पुलिस निरीक्षक पूनम जाधव, नितिन गच्छे, अमोल माली, सविता कदम, अंजलि वाणी, शंकर पाटिल, विजयकुमार घोरपड़े तथा पुलिस उपनिरीक्षक दीपक तायड़े और अविनाश नलावड़े शामिल रहे। जांच के दौरान पुलिस ने उन बैंक खातों की जानकारी जुटाई, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ठगी की रकम को स्थानांतरित करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था। बैंक खाताधारकों और उनके संपर्कों की जांच के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से सात संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि संजय शाह कथित तौर पर गिरोह के सदस्यों को सिम कार्ड और ओटीपी उपलब्ध कराता था। एक महिला ने कथित तौर पर ऋषि

मीणा की मदद से अपराध से जुड़े करीब 50.60 लाख रुपये को ठिकाने लगाने में भूमिका निभाई। नौशाद अली कथित तौर पर पीड़ितों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। इसी तरह मोहम्मद खालिद पर कथित तौर पर पीड़ितों को 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देने वाले कॉल को रूट करने का आरोप है। वहीं जागेश्वर महतो ने कथित तौर पर साइबर ठगी से प्राप्त करीब 1.17 करोड़ रुपये नकद को बैंक खातों के माध्यम से हासिल करने और अपने साथियों की मदद से रकम को ठिकाने लगाने में भूमिका निभाई। पुलिस ने जांच के दौरान अलग-अलग बैंक खातों में 34 लाख रुपये फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 27 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, पांच डिजिटल

सिगनेचर डिवाइस, 613 सिम कार्ड, दो पासबुक और दो एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर गिरोह के अन्य सदस्यों तथा इसके संचालन के तरीके का पता लगा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को बांद्रा की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चार आरोपियों को 11 अगस्त तक और शेष तीन आरोपियों को 17 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और पूछताछ में गिरोह के कथित मास्टरमाइंड समेत कई अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आई है। बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।



एल.आई.सी
भारतीय जीवन बीमा
से संबंधित किसी भी
जानकारी या समस्या
समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।



आज का राशिफल

मेघ: भूमि या वाहन से जुड़े अटक काम आसानी से निपटेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी कार्यकुशलता दिखेगी। कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा।

वृषभ: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, व्यापारिक फैसले सटीक साबित होंगे। छोटे भाई-बहनों और मित्रों का हर कदम पर सहयोग मिलेगा। दम्तर में आपकी संवाद शैली की सराहना होगी। लव पार्टनर के साथ छोटी दूरी की आनंददायक यात्रा संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दिनभर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

मिथुन: आर्थिक मोर्चे पर दिन लाभदायक रहेगा, आय के नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और प्रियजनों के साथ समय बीतेगा। निवेश से जुड़े मामलों में कोई बड़ा और फायदेमंद फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ पुरानी बातों को सुलझाने के लिए सही दिन है।

कर्क: आपकी राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु का अद्भुत संयोग रहेगा। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। करियर में कोई बड़ी और सकारात्मक खबर मिल सकती है। मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

सिंह: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, बजट बनाकर चलें। विदेश या दूर स्थान से जुड़ा व्यापार करने वालों को फायदा होगा। कार्यस्थल पर विरोधी आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं, सतर्क रहें। प्रेम जीवन में किसी भी बहस को तूल न देकर शांति से बात सुलझाएं।

कन्या: आय के साधनों में वृद्धि होगी और अटका हुआ धन वापस मिलेगा। आपकी राशि में शुक्र होने से आकर्षण और कलात्मकता चरम पर रहेगी। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और व्यावसायिक लाभ होगा। सेहत उत्तम रहेगी, दिनभर मानसिक ताजगी बनी रहेगी।

तुला: कार्यक्षेत्र और करियर के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, नई जिम्मेदारी संभव है। व्यापार विस्तार की योजनाएं अब गति पकड़ने लगेंगी। जीवनसाथी आपके हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। नियमित योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

वृश्चिक: भाग्य का पूरा साथ मिलने से अदेकें हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन में सकारात्मक विचार बने रहेंगे।

धनु: वित्तीय मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें, जोखिम भरे निवेश से बचें। कारोबार में अचानक आए बदलावों को समझदारी से संभालें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। पार्टनर की भावनाओं का आदर करें, बातचीत में मधुरता रखें। खानपान पर नियंत्रण रखें, पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

मकर: व्यापारिक साझेदारी से बड़ा फायदा और नए अनुबंध मिल सकते हैं। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे। ऑफिस में आपकी कार्यप्रणाली से सब प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ संकेत काफी मजबूत और सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या को अनुशासित रखें।

कुंभ: प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी कूटनीतिक जीत होगी। नौकरी-पेशा लोगों के लिए दिन सफलता से भरा रहेगा। पुराने कर्जों से राहत मिलने के सकारात्मक संकेत हैं। लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें और संयम से काम लें। मौसम के प्रभाव से बचें, जोड़ों में हल्का दर्द संभव है।

मीन: वक्री शनि के प्रभाव से कार्यों में निरंतरता और अनुशासन जरूरी है। विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए दिन अत्यंत फलदायी रहेगा। बौद्धिक क्षमताओं के बल पर धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में रखें।

महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों से लेकर ऊर्जा और शिक्षा तक कई अहम निर्णय

संवाददाता
मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रशासन, कौशल शिक्षा, समाजकार्य शिक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

भूसंपादन मुआवजा देर से मिलने पर अब मिलेगा अधिक ब्याज

भूसंपादन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के दौरान मुआवजा मिलने में देरी होने पर दिए जाने वाले ब्याज की दर में बदलाव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब यह ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर से एक प्रतिशत अधिक होगी। सरकार के विभिन्न विकास प्रकल्पों के लिए जमीन का अग्रिम कब्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुआवजा देने में देरी होने पर प्रभावित व्यक्ति को ब्याज दिया जाता है। मौजूदा ब्याज दर और बैंक ऋण दर के बीच अंतर को देखते हुए संबंधित कानून की धारा 72 में संशोधन किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट
राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए खरीदी गई जमीन



के हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। यह छूट महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण नीति 2025-2035 के तहत दी जाएगी। हालांकि, छूट प्राप्त जमीन का अंतिम उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए करना अनिवार्य होगा। यदि कंपनी जमीन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है या उसे बेचती है, तो हस्तांतरण शुल्क ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के बीच जमीन हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क माफ

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मुख्य कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन को बाद में ग्रुप कंपनी या स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कंपनी को हस्तांतरित

करने पर लगने वाला स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी।

कृषि विभाग में चार नए पदों को मंजूरी
कृषि आयुक्तालय में एक कृषि निदेशक, एक अपर निदेशक और दो सह निदेशक समेत चार नए पदों के निर्माण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय और एग्रीस्ट्रेक संचालनालय स्थापित किए गए हैं। इनसे संबंधित कामकाज के लिए नए पदों का निर्माण किया जाएगा। इनमें सह निदेशक (सांख्यिकी) और सह निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद भी शामिल हैं।

किल्लारी के नीलकंठेश्वर चीनी मिल को 18 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी
लातूर जिले के औसा तहसील के किल्लारी स्थित श्री नीलकंठेश्वर किसान सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) से कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। मिल की ओर से मांगे गए 18 करोड़ 9 हजार रुपये के कर्ज का प्रस्ताव एनसीडीसी को भेजा जाएगा। यह मंजूरी विशेष मामले और एक बार के

उदाहरण के तौर पर दी गई है।
निजी कौशल विश्वविद्यालयों के नियमों में बदलाव

राज्य में स्थायी स्व-वित्तपोषित आधार पर निजी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब प्रत्येक निजी कौशल विश्वविद्यालय के लिए अलग कानून बनाने के बजाय 'महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2024' के तहत एक समान नियम लागू होंगे। विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक संस्थान को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा और एक करोड़ रुपये शुल्क जमा करना होगा। इरादापत्र मिलने के बाद निर्धारित समय में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय के लिए 25 एकड़, तहसील या जिला मुख्यालय क्षेत्र में 15 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन आवश्यक होगी। संबंधित संस्था के पास कम से कम 15 हजार वर्ग मीटर की स्वतंत्र इमारत होना भी जरूरी होगा।

समाजकार्य की पढ़ाई के लिए बढ़ेंगी सीटें और नए अवसर

मंत्रिमंडल ने पारंपरिक महाविद्यालयों में समाजकार्य विषय की स्वतंत्र शाखा शुरू करने तथा मौजूदा

समाजकार्य महाविद्यालयों में स्थायी गैर-अनुदानित आधार पर नए पाठ्यक्रम या अतिरिक्त कक्षा शुरू करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से लागू होगा। राज्य में वर्तमान में 69 मान्यता प्राप्त समाजकार्य महाविद्यालय हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और अन्य वंचित वर्गों के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना

नांदेड जिले के हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा सरकारी वकील कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। न्यायालय के लिए 19 नियमित और 6 बाहरी एजेंसी के माध्यम से कुल 25 पद, जबकि सरकारी वकील कार्यालय के लिए 4 पद मंजूर किए गए हैं। नांदेड में लंबित 344 दीवानी और 327 आपराधिक, कुल 671 मामले हदगांव न्यायालय में स्थानांतरित किए जाएंगे। न्यायालय की स्थापना के लिए 1 करोड़ 83 लाख रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से हदगांव तहसील के नागरिकों और वकीलों को न्यायिक कार्य के लिए नांदेड आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च में राहत मिलेगी।

ब्रिक्स देशों को शहरों के समग्र विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

संवाददाता
मुंबई। 21वीं सदी में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' केवल भारतीय दर्शन नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की वास्तविकता बन चुका है। भारत ने हमेशा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत किया है। शहरों को बेहतर, समावेशी और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए ब्रिक्स देशों को आपसी सहयोग और बढ़ावा चाहिए, यह आह्वान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया। मंगलवार को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा के हाथों मुंबई में 'ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026' का उद्घाटन किया गया। 'मुंबई फस्ट' संस्था की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल के सहसचिव एस. राममूर्ति, 'मुंबई फस्ट' के अध्यक्ष नरिंदर नायर और उपाध्यक्ष अशांक देसाई सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। राज्यपाल वर्मा ने कहा कि शहर नवाचार और रचनात्मकता के इंजन हैं। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बीच नागरिकों के लिए रहने योग्य शहरों का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में विभिन्न स्तरों पर ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग बेहद



महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में विविधता होने के बावजूद वहां के समाजों की आकांक्षाएं समान हैं। युवा आबादी, तेजी से बढ़ते शहर और बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रशासन और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों को अपने अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान करना चाहिए।

‘एक-दूसरे की मदद करें, विकास का रास्ता आसान बनाएं’ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
संत तुकाराम महाराज की पंक्ति 'एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ' का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ब्रिक्स देशों के शहरों से आपसी सहयोग के

माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को एक-दूसरे के साथ उन्नत तकनीक, अनुभव, ज्ञान और जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए। ऐसे आपसी सहयोग से देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, वैश्विक विकास को गति मिलेगी और प्रत्येक शहर के लिए सतत विकास हासिल करना संभव होगा। 'मुंबई फस्ट' के अध्यक्ष नरिंदर नायर ने सम्मेलन के आयोजन की भूमिका स्पष्ट की, जबकि संस्था के उपाध्यक्ष अशांक देसाई ने आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के शहरों के प्रतिनिधि, महापौर, नगर नियोजन विशेषज्ञ और शहरी विकास क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य शामिल हुए।

आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द महाराष्ट्र में 434 आयुर्वेदिक दवा निर्माता संस्थानों की जांच, 135 को कारण बताओ नोटिस

संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र के अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) ने आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को एफडीए से मिली जानकारी के अनुसार राज्यभर में 434 लाइसेंसधारी आयुर्वेदिक दवा निर्माता संस्थानों की जांच की गई। गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद 135 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि 10 संस्थानों के उत्पादन लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच के दौरान औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, 1940, नियम 1945 तथा अनुसूची टी (Schedule T) के तहत निर्धारित गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के पालन की विशेष रूप से जांच की गई। एफडीए अधिकारियों ने उत्पादन परिसर, तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, बैच उत्पादन रिकॉर्ड, कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों की जांच रिपोर्ट, SOP, वितरण रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर, उपकरणों के कैलिब्रेशन और स्टैबिलिटी डेटा समेत विभिन्न दस्तावेजों की पड़ताल की। जांच में नियमों का पालन नहीं करने वाले 135 आयुर्वेदिक दवा निर्माता संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित संस्थानों से जांच में सामने आई कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इन 10 संस्थानों के लाइसेंस रद्द
● मे. कृष्णा हर्बल, बारामती, पुणे
● मे. लालशाह ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट्स, करंजा,



गोंदिया
● मे. आदित्य फार्मा, वडेगांव, तिरोड़ा, गोंदिया
● मे. अंगरस आयुर्वेद, वडेगांव, तिरोड़ा, गोंदिया
● मे. कालिदास गांधी, पुणे
● मे. शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी, सिन्नर, नाशिक
● मे. इंडुकेयर फार्मा प्रा. लि., जेजुरी
एमआईडीसी, पुरंदर, पुणे
● मे. हकीम आयुर्वेदिक ब्यूटी केअर, अमरावती
● मे. हिलैरियस आयुर्वेद, एमआईडीसी मुंडीपार, गोंदिया
● मे. यशोदा लैब प्रा. लि., नाशिक रोड, नाशिक

जांच में सामने आई गंभीर कमियां
एफडीए के अनुसार, जांच के दौरान कुछ संस्थानों में मान्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों की अनुपस्थिति, सक्षम तकनीकी कर्मचारियों की गैरमौजूदगी में उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रभावी ढंग से काम नहीं करने और उत्पादन एवं परीक्षण के लिए

आवश्यक उपकरणों की कमी जैसी गंभीर कमियां सामने आईं। इसके अलावा कई स्थानों पर उत्पादन परिसर की स्वच्छता संतोषजनक नहीं मिली। जांच में बैच उत्पादन और कच्चे माल से संबंधित रिकॉर्ड में कमी अथवा विसंगतियां, लेबल पर गलत उत्पादन तिथि, कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों की जांच से संबंधित रिकॉर्ड का अभाव तथा Schedule T के अनुसार स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं होने जैसी अनियमितताएं भी पाई गईं। तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड भी कुछ संस्थानों में उपलब्ध नहीं थे। एफडीए अधिकारियों को कुछ संस्थानों में कंट्रोल सैंपल और मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा दवाओं के निर्माण के दौरान क्रॉस कंटैमिनेशन रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं की भी कमी पाई गई। एफडीए के अनुसार, ये कमियां आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर हैं। इसी आधार पर संबंधित आयुर्वेदिक लाइसेंस प्राधिकारी ने 10 संस्थानों के उत्पादन लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की कार्रवाई की। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं। इसलिए निर्धारित मानकों और संदर्भ ग्रंथों के अनुरूप दवाओं का निर्माण तथा प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यूरिया-डीएपी के साथ अन्य रासायनिक खाद खरीदने की अनिवार्यता पर कृषि विभाग सख्त

संवाददाता
मुंबई। खरीफ और रबी सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निविष्ठाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। राज्य में कृषि निविष्ठाओं की लिंकिंग पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद कई स्थानों पर यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक खाद के साथ जबरन लिंकिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य (लिंकिंग) करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं, ऐसे निदेश कृषि, वित्त, नियोजन, राहत एवं पुनर्वास, श्रम तथा विधि एवं न्याय राज्यमंत्री आशीष जयसवाल ने दिए। मंगलवार को मंत्रालय में नागपुर जिले में यूरिया और डीएपी के साथ अन्य रासायनिक खाद की जबरन लिंकिंग कर बिक्री किए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में राज्यमंत्री जयसवाल बोल रहे थे। इस दौरान कृषि विभाग के उपसचिव संतोष कराड, निविष्ठा एवं गुणवत्ता नियंत्रण निदेशक सुनील बोरकर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, नागपुर जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद और कृषि विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।



लिंकिंग की शिकायत पर किसान करें संपर्क

राज्यमंत्री जयसवाल ने कहा कि खरीफ और रबी सीजन में किसानों को कृषि निविष्ठाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नागपुर विभाग में 133 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक और 60 शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद खरीदते समय लिंकिंग का मामला सामने आने पर किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 233 4000 या 9822446655 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि वितरक कंपनी, विक्रेता और उत्पादक के बीच लिंकिंग को लेकर मिलीभगत पाई जाती है, तो कृषि विभाग को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यूरिया, खाद और बीज का वितरण सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने

दिए। कृषि निविष्ठाओं की मांग के लिए किसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को बिना किसी बाधा के सीधे खाद उपलब्ध हो सके।

नागपुर में शिकायतों के लिए विशेष कार्रवाई

जयसवाल ने अधिकारियों को किसानों की शिकायतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करने और छापामार दस्ते गठित करने के निर्देश दिए। किसानों को राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इन व्यवस्थाओं को 15 अगस्त तक प्रभावी रूप से लागू कर ग्रामसभा में इसकी जानकारी पढ़कर सुनाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने झटका मशीन के वितरण में सही लाभार्थियों का चयन करने और वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को नुकसानभरपाई देने के निर्देश दिए। झटका मशीन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर विभाग स्तर पर एक और जिला स्तर पर छह, इस प्रकार कुल सात भारी पथक गठित किए गए हैं। 10 जून 2026

तक नागपुर विभाग में कुल 6,191 खाद विक्रेताओं की जांच की गई। इनमें नागपुर जिले के 1,335, वर्धा के 1,320, भंडारा के 670, गोंदिया के 1,013, चंद्रपुर के 1,044 और गडचिरोली के 709 विक्रेता शामिल हैं। कानून का उल्लंघन पाए जाने पर रासायनिक खाद के 183 बिक्री केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 21 बिक्री केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अलावा कानून के उल्लंघन के मामलों में 185 बिक्री केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

HURL के खिलाफ पुलिस में शिकायत
नागपुर जिले में 7 अगस्त को HURL कंपनी द्वारा यूरिया के साथ अमोनियम सल्फेट खाद की लिंकिंग किए जाने की शिकायत नागपुर एग्री डीलर एसोसिएशन की ओर से प्राप्त हुई थी। इसके बाद 8 अगस्त 2026 को नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन में HURL कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बैठक में खाद बिक्री केंद्रों पर लिंकिंग नहीं करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी दी गई। साथ ही बिक्री केंद्रों पर 'लिंकिंग को मना किया गया है' और 'लिंकिंग को ना कहें' जैसे सूचना फलक लगाए गए हैं।

तलासरी में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, छह आरोपियों में तीन हिरासत में

इंद्र यादव
मुंबई। पालघर जिले के तलासरी में रविवार रात 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, युवती अपने 20 वर्षीय प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल से गुजरात घूमने गई थी और वापस लौटते समय परिचित छह युवकों ने कथित तौर पर उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने युवती के प्रेमी को धमकाया, जिसके बाद वह वहां से भाग गया और युवती अकेली रह गई। इसके बाद छह युवक युवती को तलासरी के डाक बंगला इलाके में स्थित एक सुनसान रेस्ट हाउस में ले गए, जहां पांच आरोपियों ने उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार, पीड़िता का तलासरी तालुका के ही रहने वाले 20 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध था। युवक गुजरात में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर पर खलासी के रूप में काम करता है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण युवती अपनी एक सहेली के घर रह रही थी। रविवार, 9 अगस्त को दोनों मोटरसाइकिल से गुजरात घूमने गए थे। रात करीब नौ बजे वापस लौटते समय रास्ते में उनके परिचित छह युवक दो मोटरसाइकिलों से मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने युवती के प्रेमी को धमकाया। डर के कारण युवक वहां से भाग गया और युवती को आरोपियों के बीच अकेला छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद आरोपियों ने युवती को मोटरसाइकिल पर बैठाया और तलासरी के डाक बंगला क्षेत्र में एक सुनसान रेस्ट हाउस में ले गए। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि वहां पांच युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए तलासरी



पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के अनुसार, जांच के दौरान सोमवार को रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा बंदरगाह के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर मंगलवार को दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब फरार तीन आरोपियों की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर टीमें भेजकर छापेमारी कर रही है। पुलिस पीड़िता के बयान, घटनास्थल और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता द्वारा सामने आकर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई शुरू की है, उससे फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस का मुख्य प्रयास बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की जांच पूरी करने पर है।

Pijush Slams Rahul Gandhi Over Jharkhand Student Protest, Challenges Him to Debate

GUWAHATI: Assam Agriculture Minister Pijush Hazarika on Tuesday strongly condemned the alleged police action against students protesting peacefully in Ranchi over their demands for justice and an impartial probe into alleged irregularities in Jharkhand Public Service Commission examinations. Addressing a press conference at Atal Bihari Vajpayee Bhawan in Guwahati, Hazarika alleged that the Congress-Jharkhand Mukti Morcha government used force against unarmed students, including tear gas, lathi-charge and water cannons. He also alleged that barbed-wire barricades were erected to prevent the protesters from moving forward. Hazarika accused Congress leader Rahul Gandhi and those who claim to be champion students' rights of remaining silent over the alleged treatment of the protesting students in Jharkhand. He said the BJP stood firmly with the youth and student community of



Jharkhand and urged the state government to immediately address their demands. Hazarika alleged that students and youths protesting against alleged recruitment irregularities and question-paper leaks were subjected to brutal action. Questioning Rahul Gandhi's silence, he asked why the Congress leader, who frequently raises issues concerning students in Delhi, had not visited Jharkhand to meet the affected protesters. The Assam minister accused the Congress of adopting double standards and using issues for political gains.

He demanded that Rahul Gandhi and the Congress apologise to the country's youth over what he described as political hypocrisy. Hazarika also attacked Rahul Gandhi over the ongoing political confrontation in Parliament. He alleged that Gandhi had repeatedly changed his demands over the past 15 days and was disrupting parliamentary proceedings instead of seeking a meaningful debate. According to Hazarika, Gandhi initially demanded the resignation of the Education Minister and later sought a discussion on NEET and other issues. He said the Centre had agreed to discussions and had also strengthened laws against question-paper leaks. Hazarika further alleged that the Opposition was preventing Parliament from functioning despite assurances from Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and Union Minister Piyush Goyal that the Union Home Minister would respond to questions on the floor of the House.

YOGI HIGHLIGHTS PURVANCHAL’S GROWTH, SAYS YOUTH NOW HAVE MORE OPPORTUNITIES

GORAKHPUR: Chief Minister Yogi Adityanath on Tuesday said that the youth of eastern Uttar Pradesh no longer need to be associated with backwardness, unemployment or drug addiction. He said, We cannot label our youth as drug addicts, we cannot stigmatize our youth. If their potential was not realized earlier, the fault lay not with the youth but with the system that was unable to utilize their talent. Speaking at a news channel's Changing Eastern Uttar Pradesh conclave at the Baba Gambhirnath Auditorium in Gorakhpur, the Chief Minister said that today the youth of Purvanchal have opportunities for education, employment, self-employment, and en-



trepreneurship. When the government provided platforms and opportunities to the youth, they demonstrated their talent and gave new impetus to Purvanchal's economy. Attacking the opposition, the Chief Minister said that those who gained power in the name of Mahatma Gandhi did not have the time to trans-

late Gandhi's dreams into reality. 'Many have seized power in the country in the name of the ‘Father of the Nation’ Mahatma Gandhi ji, but they never found the time to properly realize his dreams on solid ground.Today, under the leadership of the esteemed Prime Minister Shri @narendramodi ji, Kashi Vishwanath Dham stands grandly before us all,' he opined. Citing the example of Kashi, he said that Gandhiji had visited the Kashi Vishwanath Temple in 1916. He had expressed his displeasure at the narrow streets and filth there. Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Kashi Vishwanath Dham has emerged in a grand form. Yogi said

that the development of religious places like Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya and Kashi Vishwanath Dham has not only strengthened faith but has also given new heights to the local economy. Tourists spend on services related to taxis, hotels, restaurants, flowers, markets and boatmen. This creates new employment and income opportunities for various sections of the society. The Chief Minister said that by linking tourism with faith, efforts have been made to strengthen the economy. Rapid work has also been done to develop Purvanchal as a leading tourist destination. From 'mafia-mosquito' to medical hub, Purvanchal: 'The Congress and the Samajwadi

Party made no arrangements for the treatment of encephalitis. As a Member of Parliament, I fought this battle from the streets to the Parliament; today, this region is free of encephalitis,' he stated. The Chief Minister said that eastern Uttar Pradesh once grappled with the problem of mafia and mosquitoes. The mafia sucked the blood of the people, and mosquitoes spread disease. He claimed that previous governments had failed to implement effective measures for the prevention and treatment of encephalitis. Taking aim at the long-term Congress and Samajwadi Party governments, he said these parties did not even raise their voices against encephalitis.

अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग ; चीनी कुरापतींना सडेतोड प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे, अशी भूमिका परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ही भूमिका मांडली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे. ही वस्तुस्थिती आधीपासूनच स्पष्ट आहे. या निर्विवाद सत्यात कोणताही बदल कोणीही घडवून आणू शकत नाही. भारत-चीन संबंधाबाबत जायसवाल यांनी सीमावर्ती भागातील शांतता आणि स्थैर्याला भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, सीमाविषयक मुद्द्यांवर चीनसोबतच्या चर्चेदरम्यान भारताने सातत्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सीमावर्ती भागातील परिस्थितीचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापक द्विपक्षीय संबंधांवर होईल, यावरही भारताने भर दिला आहे. भारत-चीन सीमा विषयक नुकत्याच



झालेल्या ‘वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्स्टेशन ऍन्ड कोऑर्डिनेशन’ च्या (डब्ल्यूएमसीसी) 36 व्या बैठकीतही ही भूमिका पुन्हा अधोरिखित करण्यात आली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी सविस्तर चर्चा करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) परिस्थितीचा आढावा घेतला. द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य कायम राखणे आवश्यक असल्याचे भारताने यावेळी पुन्हा स्पष्ट केले. चीनकडून अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांना वारंवार चिनी नावे देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, भारताने ‘सर्व्हे ऑफ ईंडिया’च्या अधिकृत नकाशावर अरुणाचल प्रदेशातील 27 ठिकाणांची त्यांच्या प्रमाणित नावांसह ओळख करून दिली आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाचा उद्देश या ठिकाणांची अचूक ओळख अधोरिखित करणे तसेच त्यांचे

भौगोलिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या बीजिंगच्या प्रयत्नांना भारताने यापूर्वीही ठामपणे नाकारले आहे. अशा प्रकारचे नामकरणाचे प्रयत्न निरर्थक आणि हास्यास्पद असून, त्यातून अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याच्या वस्तुस्थितीत कोणताही बदल होऊ शकत नाही, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. या 27 ठिकाणांमध्ये अनेक राणीलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये लॉना जु, जिथे 1959 मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यात संघर्ष झाला होता, तसेच थांग ला, जिथे 1962 च्या भारत-चीन युद्धातील सुरुवातीच्या लढायांपैकी एक झाली होती, यांचा समावेश आहे.याशिवाय, पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील महत्त्वाचे लॉजिस्टिक्स केंद्र जयरामपूर, तसेच 1962 च्या युद्धातील भारतीय लष्करी वीरांच्या स्मृतींशी संबंधित जसवंत गढ आणि शेर-ए-थापा मेमोरियल यांचाही या यादीत समावेश आहे.

माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या आत्मचरित्राचे पंतप्रधानांच्या हस्ते 12 ऑगस्ट रोजी प्रकाशन

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:30 वाजता नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या 'ट्राम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाईफ, माय स्ट्रगल्स' या आत्मचरित्राचे प्रकाशन करणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधितही करतील. भारतातील सार्वजनिक जीवनातील अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या कोविंद यांच्या आत्मचरित्राचे पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकाशन, हा त्यांच्या जीवनाचा आणि योगदानाचा गौरव करणारा हृद्य सोहळा ठरेल. या आत्मचरित्रात रामनाथ कोविंद यांच्या विलक्षण जीवनप्रवासातले व्यक्तिगत कथन असून त्यांच्या बालपणापासून ते त्यांच्या गौरवशाली सार्वजनिक जीवनापर्यंत आणि देशाचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी बजावलेल्या सेवेपर्यंतचे अनुभव, संघर्ष व यशाचे चित्रण आहे. हे पुस्तक त्यांचा जीवनप्रवास आणि सार्वजनिक सेवेला आकार देणारी मूल्ये, अनुभव आणि परिस्थिती याबाबत सखोल माहिती पुरवते.

‘सिंदूर महारक्तदान यात्रा’ देशाचा सेवाभाव, मानवी संवेदनशीलता आणि राष्ट्रप्रेमाचे प्रतीक: राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली: क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून शिवसेनेच्या वतीने नवी दिल्ली येथील बेस हॉस्पिटल (दिल्ली कॅन्टोन्मेंट) येथे ‘सिंदूर महारक्तदान व यात्रा शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात शिवसैनिक, खेळाडू आणि मल्लांसह ८०० जणांनी रक्तदान केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. 'डबल महाराष्ट्र केंसरी' चंद्रहार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या महारक्तदान शिबिरात शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्यक्ष रक्तदान करून सैनिकांप्रति आपली कुतज्ञता व्यक्त केली व शिवसैनिकांपुढे एक नवा आदर्श ठेवला. ऑपरेशन सिंदूरने जगासमोर भारतीय सैन्याचे अतुलनीय शौर्य आणि पराक्रम सिद्ध केले, तर शिवसेनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ‘सिंदूर महारक्तदान यात्रा’ म्हणजे देशाचा सेवाभाव, मानवी संवेदनशीलता आणि राष्ट्रप्रेमाचे प्रतीक आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ



सिंह यांनी महाराष्ट्रातील रक्तदाते आणि शिवसैनिकांचा गौरव केला. आपल्या भाषणात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी महाराष्ट्रातील रक्तदात्यांचे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भरभरून कौतुक केले. महाराष्ट्रातून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून दिल्लीत सैनिकांसाठी रक्तदान करायला येणे ही अत्यंत कौतुकास्पद गोष्ट असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन भूमीतून आलेल्या या रक्तदात्यांनी शौर्य आणि करुणेचा हा वारसा अत्यंत निष्ठेने जपला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रक्तदान हेच खरे 'महादान' असल्याचे सांगत, आज संकलित केलेले हे रक्त आपत्कालीन परिस्थितीत जवान आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या प्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसैनिकांच्या अभूतपूर्व उत्साहाचा उल्लेख केला.

गेल्या वर्षी या रक्तदान शिबिरासाठी महाराष्ट्रातून ९ हजार, तर यंदा तब्बल १६,००० रक्तदात्यांनी नावनोंदणी केली होती. रक्तदात्यांचा प्रतिस्दा प्रचंड होता आणि रक्तदाते अजिबात कमी पडले नाहीत; परंतु लष्करी रुग्णालयाच्या उपलब्ध क्षमतेनुसार व नियोजनानुसारच प्रत्यक्ष ८०० जणांचे रक्तदान करून घेण्यात आले, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सीमेवर बंदूक घेऊन जाणाऱ्या जवानांमुळेच आपण आपल्या घरात शांतपणे झोपू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानासाठी रक्तदान करणे ही छोटी गोष्ट नसून हीसुद्धा राष्ट्रसेवाच आहे. सीमेवर लढत नसले, तरी आज रक्तदान करणारे हे 'रक्तवीर' खरे योद्धेच आहेत, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. या सोहळ्याला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार मिलिंद देवरा, राज्यसभा सदस्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्यासह व्हाइस अॅडमिरल आरती सरीन, लेफ्टनंट जनरल रणजीत सिंग, लेफ्टनंट जनरल नीरज सेठी आणि लेफ्टनंट जनरल अविनाश दास हे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी उपस्थित होते.

इराणने अमेरिकेला नुकसानभरपाई द्यावी: ट्रम्पअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकीकडे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर आता केवळ अमेरिकन नौदलाचे नियंत्रण असल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे इराणसोबतच्या युद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे. ट्रम्प यांनी द्रुथ सोशलवरील एका पोस्टद्वारे ही नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले

की, या जलमार्गावर आता केवळ अमेरिकन नौदलाचे नियंत्रण आहे आणि या भागातील अमेरिकेची नाकेबंदी पूर्णपणे मजबूत आहे. त्यांनी या नाकेबंदीची तुलना 'पोलादी भिंती' शी केली असून, अमेरिकेला ज्या जहाजांना या भागातून जाण्याची परवानगी द्यायची आहे, त्यांनाच मार्ग दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर आमचे १०० टक्के नियंत्रण आहे,' असा दावा ट्रम्प यांनी केला.ट्रम्प यांचे हे



वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा होर्मुझमधील जहाजांच्या वाहतुकीवरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव सातत्याने चर्चेत आहे. दोन्ही देशांकडून या मुद्द्यावर विविध दावे आणि वक्तव्ये केली

जात आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही ठोस करारावर सहमती झालेली नाही.दरम्यान, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणला कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. उलट, या युद्धात अमेरिकेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी इराणने अमेरिकेला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ट्रम्प यांनी द्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये ही भूमिका मांडली.ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, इस्लामिक

रिपब्लिक ऑफ इराणचे प्रतिनिधी गेल्या पाच महिन्यांतील लष्करी संघर्षादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागत असल्याचे ते पाहत आहेत. त्यांच्या मते, इराणकडे अण्वस्त्रे राहू नयेत, या कारणांमुळे हा संघर्ष सुरू झाला होता. मात्र, अमेरिका आणि इराणमधील कोणत्याही चर्चेत किंवा बैठकीत नुकसानभरपाईच्या मुद्द्याचा उल्लेख झालेला नव्हता. ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले की, 'ही एक मनोरंजक कल्पना

आहे. कारण आता मीही इराणकडून नुकसानभरपाईची मागणी करत आहे. इराणच्या रस्त्याच्या कडेला केलेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये आणि विविध संघर्षांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या तसेच गंभीर जखमी झालेल्या लोकांसाठी ही भरपाई मागितली जात आहे. या घटनांसाठी इराण कुप्रसिद्ध आहे. जनरल सुलेमानीपासून सुरू झालेल्या या घटनांमध्ये यूएसएस कोलवरील हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठी समावेश आहे. तसेच

संघर्षांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या हजारो इतर लोकांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसानभरपाई मिळायला हवी.' गेल्या ५० वर्षात इराणने केलेल्या कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या लाखो निष्पाप आंदोलकांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तसेच गेल्या पाच महिन्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या ५२ हजार लोकांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म को लेकर चर्चा में पश्मीना रोशन

मुंबई। पश्मीना रोशन इन दिनों टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके शूटिंग रूटीन की झलक देखने को मिली। इन तस्वीरों ने फिल्म को लेकर फैस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। शेयर की गई तस्वीरों में पश्मीना शूट के बीच अपनी वैनिटी वैन में नजर आ रही हैं। मेकअप रूम के कुछ कैडिड मोमेंट्स के साथ उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने किरदार और फिल्म की तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई हैं। अपनी पोस्ट के साथ पश्मीना



ने लिखा है, फिल्म के सेट पर बिताए दिनों से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन इस बार का सफर कुछ ज्यादा ही खास है। फिलहाल पश्मीना ने फिल्म या अपने किरदार से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है,

लेकिन उनकी इस बात से साफ है कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद खास है। इसी के साथ टाइगर श्रॉफ और पश्मीना रोशन की फ्रेश जोड़ी को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। अपने जबरदस्त एक्शन और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले टाइगर के साथ पश्मीना की यह जोड़ी दर्शकों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रही है। फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर रेमो डिस्सा कर रहे हैं। एक्शन से भरपूर इस प्रोजेक्ट के साथ पश्मीना एक नए जॉनर में कदम रख रही हैं। ऐसे में फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ने के साथ सेट से सामने आ रही इन झलकियों ने फैस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

अक्षरा सिंह ने मां के साथ जिम में किया वर्कआउट

मुंबई। भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपनी फिल्मों और गानों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के खास पल भी फैस के साथ साझा करती रहती हैं। उनका अपनी मां नीलिमा सिंह के साथ एक मजबूत रिश्ता भी अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। इस कड़ी में एक बार भी अक्षरा ने अपनी मां के साथ मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। अक्षरा सिंह ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसमें वह अपनी मां के साथ जिम में



नजर आ रही हैं। वीडियो में मां-बेटी दोनों हाथों में डंबल उठाकर कसरत करती दिखाई देती हैं। दोनों पूरी ताकत के साथ एक्सरसाइज करती दिख रही। इस दौरान दोनों एक-दूसरे का लगातार हौसला बढ़ा रही हैं। इस वीडियो के साथ अक्षरा ने कैप्शन में लिखा,

"मम्मा और मैं, एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें भरपूर मजा और हंसी है। अब तक का सबसे अच्छा वर्कआउट पार्टनर!" अक्षरा के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अक्षरा सिंह के काम की बात करें तो उन्होंने भोजपुरी

सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में रवि किशन के साथ फिल्म 'सत्यमेव जयते' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'सौगंध गंगा मैया के', 'दिलेर' और 'साथिया' जैसी फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। 'सौगंध गंगा मैया के' में उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया, वहीं 'दिलेर' में वह दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नजर आईं। इसके बाद अक्षरा ने 'सत्या', 'तबादला', 'धड़कन' और 'सरकार राज' जैसी फिल्मों में काम किया।

श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईठा’ अब 4 दिसंबर को होगी रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईठा को लेकर फैस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने खुद ही अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर ईठा की नई रिलीज डेट जारी की है। आइए जानते हैं कि किस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी फिल्म ईठा।

मैड्रूक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से ईठा की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट किया है। फिल्म का पोस्टर शेयर मेकर्स ने कैप्शन में जानकारी देते हुए लिखा है कि तूफान के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ईठा आ रही है, 4 दिसंबर को। आपको बता दें कि नई रिलीज डेट जारी करने से पहले ईठा 28 अगस्त 2026 को रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कॉम्पिटिशन को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल



26 अगस्त को साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में मेकर्स चाहते थे कि ईठा की सीधी टक्कर किसी और फिल्म से ना हो इसीलिए ईठा की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म ईठा की कहानी महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में श्रद्धा कपूर विठाबाई का किरदार निभाते हुए नजर आने वाली है।

फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही दर्शकों को श्रद्धा की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। श्रद्धा की फिल्म ईठा का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है। इस टीजर में श्रद्धा कपूर का दमदार परफॉर्मेंस देखते ही बनता है। टीजर में श्रद्धा कपूर को प्रेनेंसी के समय भी लावणी करते हुए दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद फैस का इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है।

बालों को कितनी बार धोना सही है? जानें एक्सपर्ट की जरूरी बातें

बालों की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं, बल्कि स्कैल्प की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सप्ताह में कितनी बार सिर धोना सही होता है। इसका जवाब हर व्यक्ति के बालों के प्रकार, लाइफस्टाइल और मौसम पर निर्भर करता है। रोज हेयर वॉश न करने से बालों से जुड़ी समस्याएं जैसे रूखापन और डैंड्रफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे न केवल बालों की खूबसूरती प्रभावित होती है, बल्कि पूरी पर्सनेलिटी पर भी इसका असर पड़ता है।

- सप्ताह में कितनी बार करें हेयर वॉश**
- **सामान्य बाल:** सप्ताह में 2-3 बार
 - **तैलीय बाल:** 3-4 बार या जरूरत अनुसार
 - **सूखे बाल:** 1-2 बार
 - **कर्ली हेयर:** 1-2 बार
- किन लोगों को अधिक हेयर वॉश की जरूरत
- कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें अपने बालों को रोजाना धोने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे- वो लोग जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, रोजाना धूल-मिट्टी में काम करते हैं या फिर जिम जाते हैं, उन्हें बाल थोड़ा ज्यादा बार धोने की जरूरत पड़ सकती है।
- ज्यादा या कम धोने के नुकसान**
- बालों को बहुत ज्यादा धोने से स्कैल्प की नैचुरल ऑयल खत्म हो जाती है, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं। इसके साथ ही बहुत कम धोने से स्कैल्प में गंदगी, पसीना और तेल जमा हो जाता है जिससे डैंड्रफ और खुजली की समस्या



हो सकती है।

क्या है बाल धोने का सही तरीका

हेयर वॉश करने से पहले बालों को अच्छी तरह गीला करें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, बहुत गर्म पानी से बाल कमजोर होते हैं। शैम्पू को सीधे सिर पर लगाने की बजाय उसे पहले थोड़े से पानी में डायल्यूट करें और फिर स्कैल्प पर डालें। अब बालों को हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने के लिए नाखूनों का नहीं बल्कि उंगलियों को पोस का इस्तेमाल करें। शैम्पू बालों में रह जाने से स्कैल्प में खुजली हो सकती है, इसलिए बालों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोएं। इसके बाद बालों

की लंबाई पर अच्छी तरह से कंडीशनर लगाएं। अब बालों को मोटे तौलिये से सुखाने की बजाय माइक्रोफाइबर तौलिया से सुखाएं। मोटे तौलिये से रगड़ने से बाल टूट सकते हैं, इसलिए थपथपाकर सुखाएं।

सही प्रोडक्ट का चयन

- बालों के प्रकार के अनुसार ही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव किया जाना चाहिए। साथ ही मौसम का ध्यान रखते हुए भी हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।
- इसके अलावा इन बातों का भी रखें ख्याल
- हफ्ते में 1 बार तेल मालिश करने से स्कैल्प स्वस्थ रहता है और बालों का स्ट्रेस रिलीज होता है।
- केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें।
- बाल धोने के लिए बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी न लें।
- गीले बालों में कंघी करने से बचें।
- बालों में हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बचें।

चेहरे की सफाई और नमी के लिए कच्चे दूध का ऐसे करें इस्तेमाल

कच्चे दूध में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा की देखभाल में उपयोगी माने जाते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम कर सकता है और त्वचा की ऊपरी सतह पर जमा डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन A, D, B6, B12, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि स्किन केयर में कच्चे दूध को एक प्राकृतिक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से त्वचा को नमी और पोषण मिल सकता है। इसके नियमित और सही इस्तेमाल से त्वचा पहले की तुलना में साफ, मुलायम और फ्रेश नजर आ सकती है। इसके अलावा यह त्वचा की ड्राईनेस कम करने और चेहरे की रंगत को निखारने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और किसी भी घरेलू उपाय का असर व्यक्ति की स्किन टाइप पर निर्भर कर सकता है। अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए अपनी स्किन केयर रूटीन में कोई आसान घरेलू उपाय शामिल करना चाहते हैं, तो कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अकेले चेहरे पर लगाया जा सकता है या शहद जैसी चीजों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं चेहरे पर कच्चा दूध लगाने का सही तरीका और इससे त्वचा को मिलने वाले संभावित फायदे।

कैसे लगाएं कच्चा दूध

चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध लें। कच्चे दूध को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे पर 5 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें। मसाज करने के बाद चेहरे को नॉर्मल



पानी से धोकर सूखा लें और मॉइश्चराइजर लगाएं। यह स्किन को डीप क्लीन करता है।

दूध और शहद

चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना फायदेमंद होता है। 1 कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच शहद दोनों मिलाकर चेहरे पर लगाएं। दूध और शहद को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगे रहने दें। बाद में चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर सुखा लें। चेहरे पर कच्चा दूध और शहद लगाने से त्वचा चमकदार और मुलायम बनती है।

कच्चे दूध से होने वाले फायदे

- कच्चा दूध चेहरे से धूल, पसीना और

- मेकअप के कण आसानी से हटा देता है। अगर आप रोज शाम को कॉटन में दूध लेकर चेहरे पर लगाएं, तो कुछ दिनों में त्वचा साफ महसूस होती है।
- दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्का एक्सफोलिएशन की तरह काम करता है। इससे डेड स्किन हटती है और चेहरा थोड़ा ज्यादा फ्रेश दिखता है।
- धूप से त्वचा काली पड़ गई हो, तो दूध में थोड़ा नींबू मिलाकर लगाने से टैनिंग कम होने में मदद मिल सकती है।
- कच्चा दूध त्वचा को हल्की नमी देता है, जिससे चेहरे पर कसाव महसूस होता है। इससे फाइन लाइन्स के लुक में भी थोड़ा सुधार दिख सकता है, हालांकि कच्चा दूध एंटी एजिंग की तरह काम नहीं करता है।
- कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की ऊपरी परत पर मौजूद डेड स्किन को हटाता है और नई त्वचा को बाहर लाता है, जिससे डार्क स्पॉट्स धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं।
- धूप में निकलने से होने वाली टैनिंग और उसके कारण पड़ने वाले दागों को हटाने में भी कच्चा दूध कारगर है।

हिमालय की मांझी वन घाटी में बिखरी प्रकृति की अनोखी खूबसूरती

हिमालय केवल पर्वतों की शृंखला नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत आधार है। इसकी हिमाच्छादित चोटियां जितनी भव्य हैं, उतनी ही समृद्ध इसकी जैव-विविधता, लोकसंस्कृति और प्राकृतिक परंपराएं भी हैं। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जनपद गंगोत्री, दयारा बुग्याल, हर-की-दून, डोडीताल और सचिकेता ताल जैसी अनेक प्राकृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं के बीच स्थित मांझी वन फूलों की घाटी अत्यंत मनोहारी स्थल है। यह केवल रंग-बिरंगे पुष्पों का मैदान नहीं, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और प्रकृति के साथ मानव के सह-अस्तित्व का अद्भुत उदाहरण है। वर्तमान समय में पर्यटन प्रायः उन स्थानों तक सीमित हो गया है जहां सड़कें, होटल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जबकि हिमालय का वास्तविक सौंदर्य उन पगडंडियों पर बिखरा है जहां देवदार की सुगंध, पक्षियों का मधुर कलवर और प्रकृति की नीरवता आज भी अशुष्ण है। मांझी वन ऐसी ही एक अनमोल धरोहर है, जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को

प्रकृति का अभिन्न अंग अनुभव करता है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ यह घाटी अपने सबसे मनोहारी रूप में दिखाई देती है। महीनों तक बर्फ से ढकी रहने वाली धरती जैसे ही सूर्य की ऊष्मा और वर्षा की नमी प्राप्त करती है, वैसे ही हजारों प्रकार के जंगली पुष्प खिल उठते हैं। लाल, पीले, नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफेद फूलों से सजी पूरी घाटी किसी विशाल प्राकृतिक चित्रकला का आभास कराती है। इन पुष्पों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें किसी ने लगाया नहीं है। कठोर जलवायु, ऊंचाई और सीमित संसाधनों के बीच प्रकृति ने इन्हें हजारों वर्षों में स्वयं विकसित किया है। यही कारण है कि यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए जैव-विविधता का महत्वपूर्ण अध्ययन-केंद्र तथा प्रकृति-प्रेमियों के लिए अनुपम आकर्षण है। मांझी वन की यात्रा स्वयं में एक अविस्मरणीय अनुभव है। मार्ग में देवदार, भोजपत्र और बुर्रांश के घने वन यात्रियों का स्वागत करते हैं। पहाड़ी ढलानों से उतरते झरने, शीतल समीर और मिट्टी की सोंधी



सुगंध वातावरण को अनुपम ताजगी से भर देते हैं। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं, तो वे स्वर्णिम आभा से दमक उठती हैं। कुछ ही क्षणों बाद यही प्रकाश फूलों की घाटी पर फैल जाता है और ओस की बूंदों से सजे पुष्प रत्नों की भांति चमकने लगते हैं। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि उसे शब्दों या कैमरे में पूरी तरह बांध पाना संभव नहीं। इस घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी समृद्ध जैव-विविधता है। यहां रंग-बिरंगे पुष्पों के साथ अनेक औषधीय वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से इन जड़ी-बूटियों की पहचान और सीमित उपयोग का पारंपरिक

ज्ञान संजोए हुए हैं। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। यही संतुलित जीवन-दृष्टि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को सुरक्षित बनाए रखने में सहायक रही है। मांझी वन का पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत संवेदनशील और संतुलित है। यहां तितलियां, मधुमक्खियां, भैंरें और अनेक सूक्ष्म कीट परागण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पतियों के जीवन-चक्र को बनाए रखते हैं। आसपास के घने वन अनेक पक्षियों का सुरक्षित आश्रय हैं। हिमालयी मोनाल, विभिन्न प्रजातियों की बुलबुलें, फाखें तथा अन्य स्थानीय पक्षियों का मधुर कलवर इस क्षेत्र की जैविक समृद्धि का परिचायक है। कभी-कभी कस्तूरी मृग, घोरल और अन्य वन्य जीवों की झलक भी मिल जाती है, जो इस पारिस्थितिकी की स्वस्थ स्थिति का प्रमाण है। मांझी वन केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय समाज जंगलों को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता मानता है। लोकगीतों, लोककथाओं और पर्व-त्योहारों में पर्वत, वन और पुष्पों के

प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यहां यह मान्यता आज भी जीवित है कि प्रकृति का प्रत्येक अंश पवित्र है। यही सांस्कृतिक चेतना वर्षों से पर्यावरण संरक्षण का आधार बनी हुई है। किन्तु आज यह अनमोल धरोहर अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के मौसम में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तापमान में वृद्धि, हिमनदों का सिकुड़ना तथा वर्षा के बदलते स्वरूप का सीधा प्रभाव यहां की वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ रहा है। यदि यह स्थिति बनी रही तो अनेक दुर्लभ पुष्प और औषधीय वनस्पतियां भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनियोजित पर्यटन भी चिंता का विषय है। कुछ पर्यटक प्लास्टिक और अन्य कचरा छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ दुर्लभ पुष्पों को स्मृति-चिह्न के रूप में तोड़ लेते हैं। पगडंडियों से हटकर चलने से नाजुक वनस्पतियां भी क्षतिग्रस्त होती हैं। ऐसी छोटी-छोटी लापरवाहियां वर्षों में विकसित प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मांझी वन को

केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित प्राकृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए। इस दिशा में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, सीमित संख्या में पर्यटकों का प्रवेश, प्लास्टिक पर नियंत्रण, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड, होम-स्टे, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्वतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर संरक्षण तथा आजीविका—दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। शैक्षणिक दृष्टि से भी मांझी वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों के अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला का कार्य कर सकता है। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को यहां प्रकृति को निकट से समझने का अवसर प्राप्त होता है, जो पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव में बदल देता है।

संत कबीर नगर में 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

■ **मगहर में संत कबीर अकादमी के निर्माण से लेकर तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर तक विकास कार्यों को मिलेगी गति**

संवाददाता
संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। मंगलवार को संत कबीर नगर में 684 करोड़ से अधिक लागत की 201 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलता हुआ संत कबीर नगर आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी कह रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मगहर में संत कबीर अकादमी का निर्माण कराया गया है और संत कबीर दास जी से



जुड़े विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में बाबा तामेश्वरनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार कार्य कर रही है। कॉरिडोर निर्माण के दौरान वहां रहने वाले लोगों को मुआवजा देने के साथ ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बैजूनाथ धाम के विकास का भी उल्लेख

करते हुए कहा कि धर्मार्थ कार्य विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहां भी आवश्यक विकास कार्य कराए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से बांसी होते हुए खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी। इससे क्षेत्र में आवागमन के साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही संत कबीर नगर का लैंड बैंक तैयार होगा, यहां विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज के समय में यह आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में संत कबीर नगर में 95 हजार

परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तीन लाख से अधिक किसानों को प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। वहीं करीब 3.5 लाख गरीब परिवारों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार में काम करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। नीयत साफ हो तो नीति बनती है और नीति बनने के बाद निर्माण होता है। संत कबीर नगर में हो रहे विकास कार्य साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों का परिणाम हैं। इस अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज के समय में यह आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में संत कबीर नगर में 95 हजार

आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त, 6 बीडीओ को फटकार

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने क्लेक्टेड कार्यालय में ऑनलाइन सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों, फैमिली आईडी, स्वामित्व योजना, कृषक दुर्घटना योजना तथा राजस्व वसूली समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि स्तर में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गंजमुगदाबाद, सिकंदरपुर कर्ण, सिकंदरपुर सरोसी, सफीपुर, नवाबगंज और फतेहपुर चौरासी के खंड विकास अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दो दिन के भीतर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल शिकायत का निस्तारण कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने



अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से तहसीलवार लंबित वादों की जानकारी ली। उन्होंने फैमिली आईडी, स्वामित्व योजना और कृषक दुर्घटना योजना के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा अभियान चलाकर सभी लंबित वादों और प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से फैमिली आईडी और अंश निर्धारण के कार्य में तेजी लाने को कहा। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति

में जनपद की रैंकिंग में गिरावट नहीं आनी चाहिए। रैंकिंग में कमी अथवा कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों की राजस्व वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आबकारी, परिवहन, वन, मंडी और सिंचाई सहित अन्य विभागों की वसूली संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उपजिलाधिकारी अजेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जन्मदिन पर गौ-आश्रय स्थल पहुंचे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गौवंश की पूजा कर कराया फलाहार

संवाददाता
झांसी, उत्तर प्रदेश। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार सिंह ने अपने जन्मदिन को सेवा और सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए विकासखंड बंगरा के ग्राम मगवारा स्थित गौ-आश्रय स्थल पहुंचकर गौवंश की पूजा-अर्चना की और उन्हें फलाहार कराया। उन्होंने गौवंश को गुड़-चना का प्रसाद भी खिलाया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने गौवंश के प्रति सम्मान, सेवा और संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में गौवंश का विशेष स्थान है। गौवंश की सेवा और संरक्षण हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से गौवंश के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए उनके संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। जन्मदिन के अवसर पर गौ-आश्रय स्थल पहुंचकर उन्होंने वहां संरक्षित गौवंश की पूजा-अर्चना की और फलाहार का भंडारा कराया। इसके बाद उन्होंने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गौवंश के लिए उपलब्ध चारा, पेयजल, साफ-



सफाई, छाया तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के साथ-साथ आश्रय स्थलों की स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की भी जानकारी ली और सभी

गौवंश का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने जन्मदिन अथवा अपने प्रियजनों के जन्मदिन पर उनके नाम से पौधा लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ उसका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, बंगरा क्षेत्र के अन्य ग्रामवासी तथा सहयोगी स्टाफ उपस्थित रहा।

बरकाकाना-सोननगर रेलखंड पर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरे



संवाददाता
पलामू। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना-सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच सबनवा गांव के समीप मंगलवार को कोयले से लदी मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी बरकाकाना की ओर से कोयला लेकर सोननगर जा रही थी। गढ़वा रोड स्टेशन की पार करने के बाद सिगसिगी स्टेशन की ओर बढ़ते समय ग्रासिम इंडस्ट्री के समीप सबनवा गांव में रिवर्सिबल लाइन पर मालगाड़ी के 11 डिब्बे बेपटरी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई तथा राहत एवं बहाली का काम शुरू कर दिया।

कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन का 200वां निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम संपन्न

सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बांटा भोजन

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन ने समाजसेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल करते हुए अपना 200वां निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता कार्यक्रम में पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को स्वयं भोजन वितरित किया। उन्होंने संस्था द्वारा लगातार किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए पदाधिकारियों और सेवकों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग चोरी और दूसरों का हक छीनकर अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन परिवार पिछले कई वर्षों से निःस्वार्थ भाव से समाजसेवा में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सेवा परिवार के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन पिछले चार वर्षों से निरंतर समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। संस्था की ओर



से निःशुल्क भोजन वितरण के अलावा रक्तदान, गौ सेवा, वानर भोजन सेवा तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे विभिन्न सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। संस्था का आगामी प्रमुख लक्ष्य 'अन्नपूर्णा रसोई' का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा सके। 200वें भोजन वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक पंकज गुप्ता ने संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा की तथा संस्था के अध्यक्ष चेतन मिश्रा को उनके

उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष चेतन मिश्रा, कुलदीप पांडेय, अम्बुज मिश्रा, संजय फौजी, रेनु वर्मा, आरती वर्मा सहित करीब तीन दर्जन सेवक मौजूद रहे। संस्था के सदस्यों ने भविष्य में भी जरूरतमंदों की सहायता और समाजसेवा के कार्यों को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

केरल का नाम केरलम किए जाने वाला विधेयक लोकसभा से पारित

संवाददाता
नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' किए जाने से जुड़ा विधेयक शोर-शराबे के बीच बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज सदन में शोर-शराबे के बीच केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 चर्चा हेतु पेश किया और संक्षिप्त में जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक के पारित किए जाने के कुछ कांग्रेस सांसदों ने विरोध किया है। दूसरी संसदीय कार्यमंत्री ने किरेन रिजिजू ने विधेयक पारित होने के बाद दुःख जताया कि विधेयक पर वरिष्ठ सदस्य केसी वेणुगोपाल को बोलने का अवसर नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में पिछले दो सप्ताह से जारी व्यवधान आज भी जारी रहा। शोर-शराबे बीच सरकार लगातार दोनों सदनों में कुछ आवश्यक विधायी कार्य पूरा करा रही है। इसी क्रम में आज केरल राज्य का नाम बदले जाने से जुड़ा विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। मलयालम भाषा में राज्य को पारंपरिक



रूप से 'केरलम' ही कहा जाता है। विधेयक इसी सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक दर्जा देने के लिए लाया गया है। इसके तहत भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। नाम परिवर्तन के साथ-साथ राज्य से संबंधित अन्य संवैधानिक तथा प्रशासनिक दस्तावेजों में आवश्यक परिणामी संशोधन भी शामिल होंगे। केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। इस संकल्प

में कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक कदम उठाते हुए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाए और राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी राय व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानमंडल को भेजा था। केरल विधानसभा ने 'केरल' (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' पर गहन विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया गया।

पुंछ में सुरंग के पास संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान तेज

संवाददाता
पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंडर सेक्टर में निर्माणाधीन सुरंग के पास संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षाबलों ने व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। निर्माण स्थल पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने संदिग्ध गतिविधि देखी और एहतियात के तौर पर तीन से चार राउंड फायरिंग



की। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को घटना के बाद सुबह पुलिस, विशेष अभियान दल और सीआरपीएफ के जवानों ने भातदुरियां, संगियोट और आसपास के इलाकों के वन क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। समाचार लिखे जाने तक यह अभियान जारी था।

तमिलनाडु विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, भाजपा ने किया वॉकआउट

संवाददाता
चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट प्रणाली को समाप्त करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. अरुणराज ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार से नीट परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला देने का आग्रह किया। विधानसभा की बैठक मंगलवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। प्रस्ताव पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक और अन्य कथित अनियमितताओं के कारण छात्रों का इस परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि नीट के कारण तमिल माध्यम से



पढ़ाई करने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के मेडिकल शिक्षा हासिल करने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को नजरअंदाज कर एक दिन की प्रवेश परीक्षा के आधार पर उच्च शिक्षा का फैसला करना उचित नहीं है। उनके अनुसार, नीट ने निजी कोचिंग संस्थानों के विस्तार को बढ़ावा दिया

है और इससे छात्रों एवं उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा ने नीट से छूट की मांग को लेकर वर्ष 2021 में कानून पारित किया था, लेकिन उसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। मंत्री ने नीट को सामाजिक न्याय और छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए सभी सदस्यों से प्रस्ताव का समर्थन

करने की अपील की। विभिन्न दलों के सदस्यों ने रखे विचार प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के विधानसभा सदस्यों ने नीट से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। सदस्यों ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं, छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक एवं आर्थिक दबाव तथा नीट से जुड़ी छात्र आत्महत्याओं का भी मुद्दा उठाया। बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर ने सदस्यों से प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में मतदान करने को कहा। मतदान के बाद उन्होंने घोषणा की कि नीट परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। हालांकि, प्रस्ताव पर मतदान से पहले नीलगिरी जिले की ऊटी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भोजराजन सदन से वॉकआउट कर गए।